

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 135

प्रकरण क्रमांक- M-COM-2023-02000

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "अमलतास कैस्टले" प्रमोटर-ग्रीन एम्बीयंस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., द्वारा-
श्री अमल चौबे, पता-जी.ए.डी. कॉलोनी के समीप कचना, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट - " अमलतास कैस्टले " कचना, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
08/11/2023	<p>— प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>— अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री सर्वेश खटनानी । वकालतनामा पेश किया गया ।</p> <p>अनावेदक द्वारा लिखित जवाब पेश किया गया । अनावेदक द्वारा बैंक में रेरा विनिर्दिष्ट खाता खोला गया है । रेरा अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप लेन-देन किया जा रहा है । अवगत कराया गया ।</p> <p>प्राधिकरण के आदेश का अनावेदक द्वारा पालन किया गया है । किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । बैंक खाता का स्टेटमेंट की प्रति प्रस्तुत किया गया है ।</p> <p>प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किया जाता है । प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ जमा किया जावे ।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	